2/12/25

अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। आदेश दावी हेतु वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। आपत्ति में प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया। अभिभाषकों को वादी वाचन आवश्यक। अतः प्रकरण पश्चात आदेश दावी हेतु दिनांक 5/12/25 को पेश हो।

जिला न्यायाधीश
केकड़ी जिला अजमेर (राज.)